336

भारतीय वन्यजीव संस्थान
Wildlife Institute of India

सूचना का अधिकार
RIGHT TO INFORMATION

स्पीड पोस्ट

No. WII/RTI/CPIO/2018-19 (Qtr-I)/ 21

Dated 28.06.2018

सेवा में,

श्री रजत कुमार,
नि० 12/3, भंडारी बाग,
देहरादून - 248 001

विषय - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध कराने के बाबत-
सन्दर्भ - आपका आवेदन पत्र दिनांक 06.06.2018.

महोदय,

संदर्भित RTI का अवलोकन करने की कृपा करें जो कि इस संस्थान को **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत** सूचनायें उपलब्ध कराने के बाबत प्राप्त हुई है। इस सम्बन्ध में आपके द्वारा मांगी गई बिन्दुवार सूचनाओं का उत्तर संस्थान के सम्बंधित अधिकारी द्वारा प्राप्त हुआ है जो कि इस पत्र के साथ तालिका-1 के 2 (दो) प्रष्ठों में संलग्न है।

संदर्भित RTI के साथ इस कार्यालय को 10/- प्रति के पांच भारतीय पोस्टल आर्डर भी प्राप्त हुए थे जिसमे कि एक पोस्टल आर्डर न० 43 F 732759 RTI शुल्क के तहत इस कार्यालय के वित्त विभाग में जमा कर दिया गया है तथा चार पोस्टल आर्डर न० 43 F 732760 से 732763 तक इस पत्र के साथ आपको वापस किए जा रहे हैं।

अगर आप उक्त जानकारी से संतुष्ट नहीं हैं तो **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005,** के तहत अधोलिखित अपीलीय प्राधिकारी को एक माह के भीतर अपील कर सकते हैं - **डॉ० वि०बि०माथुर, निदेशक एवं अपीलीय प्राधिकारी, भारतीय वन्यजीव संस्थान, पोस्ट बॉक्स 18, चन्द्रबनी, देहरादून - 248001, दूरभाष न० 0135-2640910, 2646102.**

धन्यवाद,

भवदीय

अंजू बारोठ 28/6/18

(डा० अंजू बारोठ)

केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी

संलग्न - 2 प्रष्ठ

पत्रपेटी सं0 18, चन्द्रबनी, देहरादून – 248001, उत्तराखण्ड, भारत
Post Box No. 18, Chandrabani, Dehradun – 248001, Uttarakhand, INDIA
ई.पी.ए.बी.एक्स : +91-135-2640114, 2640115, 2646100 फैक्स : 0135-2640117
EPABX : +91-135-2640114, 2640115, 2646100; **Fax :** 0135-2640117;
ई–मेल / **E-mail:** wii@wii.gov.in, वेब / **website:** www.wii.gov.in

335

तालिका -1

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	भारतीय वन्य जीव संस्थान ने कितनी एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है ?	भारतीय वन्य जीव संस्थान ने 20.38 एकड़ भूमि का अधिग्रहण उत्तर प्रदेश शासन से अक्टूबर 1991 में किया गया था।
2	भारतीय वन्य जीव संस्थान ने 20.38 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है तो भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा कितनी भूमि पर अधिग्रहण की सीमा सीमांकित की गयी।	भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा 20.38 एकड़ भूमि पर अधिग्रहण की सीमा सीमांकित की गयी है।
3	अधिग्रहित भूमि का कितना भूमि क्षेत्रफल अपने आवास के लिए आवंटित किया है ?	अधिग्रहित भूमि का 17750 वर्ग मीटर (3.98 एकड़) क्षेत्रफल भारतीय वन्य जीव संस्थान द्वारा अपने आवास के लिए आवंटित किया है।
4	क्या कभी खेवट संख्या ½ दून हाउसिंग कंपनी लि० के नाम दर्ज है तो द० दून हाउसिंग के दर्ज खसरा न०का विवरण ?	यह जानकारी संस्थान के दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।
5	क्या कभी भारतीय वन्यजीव संस्थान से कुछ भूमि का द० दून हाउसिंग प्रा० लि० की तरफ से इकरारनामा किया गया था ?	नहीं
6	यह कि (आरक्षित वन विभाग ने जो कि द० दून हाउसिंग प्रा० लि० का क्षेत्रफल था) वन विभाग ने कितनी एकड़ भूमि भारतीय वन्यजीव संस्थान को आवंटित की है और यह कि वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान को यदि अपनी भूमि आवंटित की है तो कितने एकड़ है ?	उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान को देहरादून में स्थापित किये जाने हेतु 86 हेक्टेयर वन भूमि निशुल्क हस्तांनान्तिरण किया गया था।
7	भारतीय वन्यजीव संस्थान ने वन विभाग द्वारा आवंटित भूमि के एवज में वन विभाग को आवंटन के फलस्वरूप कितनी धनराशी दी गयी ?	वन विभाग द्वारा भारतीय वन्यजीव संस्थान को वन भूमि निशुल्क हस्तानांतरित की गयी है।
8	भारतीय वन्यजीव संस्थान एवं वन विभाग द्वारा इसकी सूचना द० दून हाउसिंग प्रा० लि० को दी गयी थी, तो उसकी छायाप्रति देने का कष्ट करें।	नहीं
9	वन विभाग ने भारतीय वन्यजीव संस्थान को इतनी एकड़ भूमि देने का क्या उद्देश्य था ?	भारतीय वन्यजीव संस्थान को देहरादून में स्थाई रूप से स्थापित करना। शोधकर्ता, वैज्ञानिकों के लिए हॉस्टल, आवास, अतिथि गृह, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, खेलकूद के लिए मैदान, सभागार हाल, लेक्चर रूम, ऑफिस बिल्डिंग एवं शोधकार्य करने हेतू रिज़र्व फारेस्ट।

ATTESTED

CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

10	किस आदेश अथवा भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के तहत भूमि भारतीय वन्यजीव संस्थान को दी ?	यह जानकारी संस्थान के दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।
11	आवंटित भूमि के फलस्वरूप द० दून हाउसिंग प्रा० लि० को क्या प्रतिकर दिया गया ?	यह जानकारी संस्थान के दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।
12	भारतीय वन्यजीव संस्थान को आवंटित भूमि 20.38 एकड़ को छोड़कर और कितनी भूमि भारतीय वन्यजीव संस्थान किस -किस कार्य रूप से काबिज़ है, यदि है तो उसका मुआवजा द० दून हाउसिंग प्रा० लि० को दिया गया अथवा नहीं ?	यह जानकारी संस्थान के दस्तावेजों में उपलब्ध नहीं है।
13	शासन की अधिसूचना धारा - 4 (1) / 17 व धारा - 6 (1) / 17 प्रकाशित के अनुसार 20.38 एकड़ भूमि भारतीय वन्यजीव संस्थान को दी गई तो किस आधार के तहत (अधिसूचना के तहत) भूमि आवंटित की और कितनी की, क्या वन विभाग को इसका मुआवजा आपके विभाग ने दिया, दिया तो कितना दिया ?	नहीं दिया।
14	क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान को ज्ञात था कि द० दून हाउसिंग प्रा० लि० का वाद माननीय न्यायालय देहरादून में धारा 20 के अंतर्गत विचाराधीन है और यदि आपको ज्ञात था, तो क्या भारतीय वन्यजीव संस्थान ने किसी सम्बंधित माननीय न्यायालय से वन विभाग का क्षेत्रफल लेने से पूर्व कोई आदेश प्राप्त किये ? यदि हां तो उक्त आदेश कि छायाप्रति देने की कृपा करें ?	नहीं।
15	यदि द० दून हाउसिंग प्रा० लि० से कोई अनुबंध है तो उसकी छायाप्रति देने की कृपा करें ?	नहीं है।

महेश त्यागी

(महेश त्यागी)

वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी

ATTESTED

CPIO, Wild Life Institute of India, Dehradun

29/6/16

स्पीड पोस्ट

SPEED POST